

**FORM NO-III****फर्द अहकाम**

(नियम 26)

मुकाम

अजमेर

अज अदालत - जिला कलक्टर

लाडी देवी व अन्य बनाम तीजी देवी व अन्य

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि 1956 प्रकरण संख्या 1/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने रेस्पोंडेंट की 1 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश करने हेतु समय चाहा। राजकीय परोकार ने पत्रावली पर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुति दिनांक 21.01.2015 के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 3.02.2015, 23.02.2015, 30.03.2015, 27.07.2015, 7.9.2015, 20.10.2015, 18.11.2015, 22.02.2015, 17.05.2016, 8.08.2016, 19.09.2016, 21.11.2016, 20.12.2016, 28.03.2017, 02.05.2017, 30.05.2017, 27.06.2017, 1.08.2017, 30.09.2017, 14.11.2017, 12.12.2017, 16.01.2018, 20.02.2018, 20.03.2018, 24.4.2018, 29.05.2018, 03.7.2018, 7.08.2018, 11.09.2018, 16.10.2018, 13.11.18, 11.12.2018, 22.1.2019, 2.4.2019, 25.6.2019, 30.7.2019, 27.8.2019, 1.10.2019, 5.11.2019, 10.12.2019, 14.1.20, 4.8.2020, 13.10.2020, 18.11.2020, 29.12.2020, 2.2.2021, 20.4.2021, 25.5.2021, 13.7.2021, 28.5.2021, 28.12.2021, 13.4.2022, 30.5.22, 27.6.2022, 26.8.2022, 16.9.2022, 21.10.2022, की पालना में रेस्पोंडेंट 1 के नोटिस तलबाना पेश नहीं किये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 09.12.2022, 27.01.2023, 19.5.2023, 6.10.2023, 5.1.2024, 12.4.2024 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई, जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय परोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय प्रभावी आदेशिका 12.04.2024 के बावजूद लगभग 40 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 09 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रुचि प्रकट होना प्रतीत होती है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः अपीलाण्ट की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

डॉ. भारती दीक्षित  
जिला कलक्टर, अजमेर